कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ।

पत्रांक C-1806/स0क0/प्रचार-प्रसार/पहचान-पत्र/उभलिंगी व्य0/2020-21 दिनांक 12.01.2021

01. उपजिलाधिकारी, सदर, मवाना, सरधना जनपद- मेरठ।
02. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद- मेरठ।
03. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद- मेरठ।
04. सहायक निदेशक, सूचना अधिकारी, जनपद- मेरठ।

विषयः- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 तथा तत्सम्बन्ध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.09.2020 द्वारा प्रख्यापित नियमावली की व्यवस्था के कम में कार्यवाही के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-4/2/2020-डीपी-II दिनांक 04.12.2020 तथा तत्कम में उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 के पत्र संख्या 107 भा0स0/26-2-2020-1 (रिट)/2012 दिनांक 17.12.2020(छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के लिये पहचान प्रमाण-पत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार बनाये गये अधिनियम तथा नियमावली की व्यवस्था के कम में कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.12.2020 द्वारा उक्त हेतु एक पोर्टल **transgender.dosje.gov.in/Admin** तैयार किया गया है। जिस पर पहचान-पत्र निर्गत किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरे जाने की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये है। भारत सरकार द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि उक्त पोर्टल का सम्यक प्रचार-प्रसार कराते हुये प्रश्नगत अधिनियम एवं नियमवाली की व्यवस्था के कम में उभयलिंगी व्यक्यिों के पहचान पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये।

अतः उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.09.2020 द्वारा प्रख्यापित नियवाली की व्यवस्था में उभयलिंगी व्यक्तियों के पहचान -पत्र निर्गत कराने हेतु प्रचार-प्रसार की तत्सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए शीघ्र वांछित कार्यवाही कराये जाना सुनिश्चित करें।

(के0 बालाजी)
जिलाधिकारी,
मेरठ।

पृष्ठांकन /तददिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01. जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ, को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आप आपने स्तर से समस्त विकास खण्ड में उभयलिंगी व्यक्तियों के पहचान -पत्र निर्गत कराने हेतु प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
मेरठ।

DSWO